

28-11-25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप-
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन
है। अधिवक्ता वादी को प्रतिवादीगण की
तलबी पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान
किए गए। इसके उपरान्त अधिवक्ता वादी
एवं स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादीगण की
तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई।

इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी एवं
स्वयं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं।

लिहाजा आदेशिका दिनांक-21.01.25 की
पालना में वादी का वाद अपदम-पालना
में इसी स्तर पर आदेश-09, नियम-05
सपठित धारा 151 CPC के तहत खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दस्त
हो व नंबर से कम हो।

